न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 61/18

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान प्रार्थीगण – 1.नैनाराम पुत्र सुखाराम
2.कमला देवी पत्नि नैनाराम
जाति कुम्हार, निवासी नेहरों की नाडी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.गवरीदेवी पत्नि डूंगराराम 2.रूखमणाराम पुत्र ताजाराम
जाति कुम्हार, निवासी नेहरों की नाडी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.तहसीलदार चौहटन।

वकील प्रार्थीगण :– श्री हनुमान पुरबिया

निर्णय

दिनांक :– 25.06.2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नेहरो की नाडी, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1098/578 रकबा 106.18 बीघा, खसरा सं. 1178/578 रकबा 40.00 बीघा, कुल रकबा 146.18 बीघा एवं प्रार्थी सं. 1 व विप्रार्थी सं. 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 577 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 1041/581 रकबा 18.00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त विवादित आराजी भूमि पूर्व में प्रार्थी सं. 1 के पिता सुखाराम की संयुक्त खातेदारी की थी। सुखाराम की फौतगी पर प्रार्थी सं. 1 को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई। बचपन प्रार्थी सं. 1 को भैराराम व नेनाराम दो नामों से बुलाया जाता था। सुखाराम की फौतगी पर प्रार्थी सं. 1 का नाम भैराराम दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी सं. 1 का वास्तविक नाम नैनाराम है। प्रार्थी के मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम नैनाराम ही अंकित है। बचपन में प्रार्थी सं. 1 के दो नाम होने के कारण प्रार्थी सं. 1 का गलत नाम भैराराम दर्ज हो गया ।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 1098/578 रकबा 106.18 बीघा एवं खसरा सं. 1178/578 रकबा 40.00 बीघा, कुल रकबा 146.18 बीघा भूमि प्रार्थीनी सं. 2 ने खरीदी। उस समय बैचान पत्र में प्रार्थीनी सं. 2 का नाम कमलादेवी पत्नि भैराराम दर्ज कर दिया गया।

इसलिए मौजा नेहरो की नाडी, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1098/578 रकबा 106.18 बीघा, खसरा सं. 1178/578 रकबा 40.00 बीघा, कुल रकबा 146.18 बीघा में प्रार्थी सं. 1 भैराराम पुत्र सुखाराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र सुखाराम एवं खेत खसरा सं. 577 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 1041/581 रकबा 18.00 बीघा में कमलादेवी पत्नि भैराराम के स्थान पर कमलादेवी पत्नि नैनाराम दुरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नेहरों की नाडी में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित हुए। वकील प्रार्थी उपस्थित। उपस्थित पक्षकारों का द्वारा राजीनामा पेश किया गया । राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम दुरस्त किया जावे तो हमें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नेहरो की नाडी, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1098/578 रकबा 106.18 बीघा, खसरा सं. 1178/578 रकबा 40.00 बीघा, कुल रकबा 146.18 बीघा एवं प्रार्थी सं. 1 व विप्रार्थी सं. 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 577 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 1041/581 रकबा 18.00 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त विवादित आराजी भूमि पूर्व में प्रार्थी सं. 1 के पिता सुखाराम की संयुक्त खातेदारी की थी। सुखाराम की फौतगी पर प्रार्थी सं. 1 को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई। बचपन प्रार्थी सं. 1 को भैराराम व नेनाराम दो नामों से बुलाया जाता था। सुखाराम की फौतगी पर प्रार्थी सं. 1 का नाम भैराराम दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थी सं. 1 का वास्तविक नाम नैनाराम है। प्रार्थी के मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम नैनाराम ही अंकित है। बचपन में प्रार्थी सं. 1 के दो नाम होने के कारण प्रार्थी सं. 1 का गलत नाम भैराराम दर्ज हो गया ।

उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 1098/578 रकबा 106.18 बीघा एवं खसरा सं. 1178/578 रकबा 40.00 बीघा, कुल रकबा 146.18 बीघा भूमि प्रार्थीनी सं. 2 ने खरीदी। उस समय बैचान पत्र में प्रार्थीनी सं. 2 का नाम कमलादेवी पत्नि भैराराम दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरस्त करना न्यायोचित होगा ।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया मौजा मौजा नेहरो की नाडी, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1098/578 रकबा 106.18 बीघा, खसरा सं. 1178/578 रकबा 40.00 बीघा, कुल रकबा 146.18 बीघा में प्रार्थी सं.1 का नाम भैराराम पुत्र सुखाराम के स्थान पर नैनाराम पुत्र सुखाराम एवं प्रार्थी सं. 1 व विप्रार्थी सं. 1 से 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा सं. 577 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 1041/581 रकबा 18.00 बीघा में प्रार्थी सं. 2 का नाम कमलादेवी पत्नि भैराराम के स्थान पर कमलादेवी पत्नि नैनाराम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प नेहरों की नाडी में सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन